

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 91/2025

दायर दिनांक 06.03.2025

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. खान मोहम्मद पुत्र
ईनायत खां जाति
कायमखानी निवासी
चौलूखां तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना कुचामन
राज0।

बना
म्

01. नूर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां
02. शेर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां
03. आलम अली पुत्र स्व. भंवरू खां समस्त
जाति कायमखानी निवासीयान चौलूखां
तहसील डीडवाना जिला नागौर
04. यूको बैंक शाखा डीडवाना
05. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो. अली शेरानी वकील वादीगण।
2. श्री नारायण परिहार वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3

--:: निर्णय ::--

दिनांक 25.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा सं. 1137 रकबा 5.6600 है., खसरा संख्या 1136 रकबा 2.1900 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 07.10.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: प.1(12)रीडर/2025/650 दिनांक 08.12.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प. 1(12)रीडर/2025/650 दिनांक 08.12.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--:: आदेश ::--

सरहद मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा सं. 1137 रकबा 5.6600 है., खसरा संख्या 1136 रकबा 2.1900 है. भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.1(12)रीडर/2025/650 दिनांक 08.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि

ideas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: प.1(12)रीडर/2025/650 दिनांक 08.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

ikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 91/2025

दायर दिनाँक 06.03.2025

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. खान मोहम्मद पुत्र
ईनायत खां जाति
कायमखानी निवासी
चौलूखां तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना कुचामन
राज0।

बना
म्

01. नूर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां
02. शेर मोहम्मद पुत्र ईनायत खां
03. आलम अली पुत्र स्व. भंवरू खां समस्त
जाति कायमखानी निवासीयान चौलूखां
तहसील डीडवाना जिला नागौर
04. यूको बैंक शाखा डीडवाना
05. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53,88,188 R.T.Act.

दिनाँक 25.02.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री मो. अली शेरानी वकील वादीगण एवं नारायण परिहार वकील
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है
कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा दौलतपुरा के खेत खसरा सं. 1137
रकबा 5.6600 है., खसरा संख्या 1136 रकबा 2.1900 है. भूमि में वादी व
प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के
स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: प.
1(12)रीडर/2025/650 दिनाँक 08.12.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को
स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश
दिए जाते हैं।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: प.
1(12)रीडर/2025/650 दिनाँक 08.12.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग
रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को
अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 25.02.2026 को
सरे इजलास में जारी की गयी।

Wlas
सहायक कलक्टर
डीीडवाना

	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wheas
 सहायक कलेक्टर
 डी.डवाना